अनुसूची–14, फारम सं0–565

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ

12.03.2025

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पोड़ाहाट, चक्रधुरपर।

नामांतरण अपील वाद संख्या–02 / 2018–19

तरूण कुमार दत्ता .... अपीलकर्त्ता।

बनाम्

अंचल अधिकारी ....चक्रधरपुर।

आदेश

अपीलार्थी, तरूण कुमार दत्ता, पिता– स्व० कनक चन्द्र दत्ता, निवासी– पापड़हाता, पो०+थाना– चक्रधरुपर, जिला– प० सिंहभूम ने अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या– 888 R27 / 2017–18, दिनांक– 05.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद संख्या– 02 / 2018–19 दायर किया है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा
वार्ड नं0–01, चक्रधरपुर	68	15	263 (a)	02 डि० 750 वर्गकड़ी
			263 (b)	01 डि० 000 वर्गकड़ी
			264 (a)	01 डि० 000 वर्गकड़ी
			264 (b)	01 डि० 187 वर्गकड़ी
			264 (c)	02 डि० 625 वर्गकड़ी
			264 (d)	01 डि० 125 वर्गकड़ी
			264 (e)	01 डि० 000 वर्गकड़ी
			264(f)	09 डि० 812 वर्गकड़ी
कुल –				20 डि० 499 वर्गकड़ी

अस्वीकृति का कारणः– राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि खाता नं0–15 हाल सर्वे खतियान एवं पंजी–II में कनक चन्द्र दत्त, पिता– जगबंधु दत्त वो मृदुल कांति दत्त, पिता– पंचानन दत्त अंश समान दर्ज है। जबकि सिर्फ कनक चन्द्र दत्त के द्वारा ही दिनांक– 11.03.84 को केवल अपने बड़े पुत्र तरूण दत्त को संयुक्त भूमि का Will किया गया है, Will के साथ किसी भी तरह का पारिवारिक बंटवारा का जिक्र एवं संलग्न नहीं कि गयी है। खाता संयुक्त खाते की जमीन है। आवेदक के छोटे भाई का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है, संयुक्त प्लॉट का रकवा– 0.12 डिसमिल भूमि का विल किया है खतियान के अनुसार तीनों प्लॉट का रकवा– 0.14.562 ए० है जबकि आवेदक द्वारा उक्त खाते में कुल 0.19.999 ए० का नामांतरण हेतु आवेदन किया है। अतः उपरोक्त नामांतरण को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

अपीलार्थी का कथन है कि उक्त नामांतरण वाद में अचंल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामांतरण वाद सं0–888 R27 / 2017–18, दिनांक– 05.06.2018 के माध्यम से प्लॉट सं0– 264 f के आंशिक रकवा– 0.09.312 ए० हेतु आवेदन किया गया, जो गलत है। अपीलकर्त्ता द्वारा सही रकवा अंकित कर नामांतरण स्वीकृत हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी ने Probate Case का छायाप्रति न्यायालय में उपलब्ध किया गया जिसमें अपीलार्थी को उक्त भूमि Probate के माध्यम से प्राप्त है।

उक्त संबंध में न्यायालय के पत्रांक– 396 / न्या०, दिनांक– 24.09.2024 द्वारा जाँच

12/03/25

प्रतिवेदन की मांग किया गया। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने पत्रांक–294, दिनांक– 17.02.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित कर जिसमें भिन्नता पाया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अंचल अधिकरी, चक्रधरपुर के नामांतरण वाद संख्या–888 R27/2017–18, दिनांक– 05.06.2018 को पारित आदेश को इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि समर्पित दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करते हुए नामांतरण वाद को स्वीकृत करने की कार्रवाई करें।

अपीलकर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित वांछित दस्तावेज ससमय निम्न न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्ति करेंगें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकरी, चक्रधरुपर को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई करने हेतु तथा कृत कार्रवाई का अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

12/03/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

12/03/25
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2025.04.08 12:19:23 +05:30
Location: 10.93.69.133